LL.B.6Sem.(C.P.C.)

CHAPTER -EXECUTION(Sec.36.Or.21). And.ARREST and DETENTION(Sec.55-59)

By- Banshlochan Prasad.

Scanned with CamScanner

धारा 36. आदेशो को लागू होना – **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 36** यह उपबंधित करती है कि डिक्रियों के निष्पादन सम्बन्धी वही उपबंध आदेशों के निष्पादन पर भी लागू माने जायेंगे ||

निष्पादन का अर्थ – न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा डिक्री और आदेश का प्रवर्तन ही निष्पादन कहलाता है |

निष्पादन वह माध्यम है जिसकी सहायता से डिक्रीदार डिक्री की शर्तों का निर्णीत ऋणी से पालन कराता है अथवा पूरा कराता है |

उदाहरणस्वरूप – न्यायालय **'A'** के पक्ष में 10,000 रूपये की डिक्री पारित करता है और डिक्री **'B'** के विरुद्ध है | यहाँ **'A'** डिक्रीदार और **'B,** निर्णीत ऋणी और 10,000 रुपया निर्णीत ऋण है और यदि **'B'** 10,000 रूपये की धनराशि **'A'** को अदा नही करता है तो **'A'** डिक्री के प्रवर्तन के लिए निष्पादन की कार्यवाही करेगा और 10,000 रुपये की वसूली करेगा | अतः वह पूरी प्रक्रिया (न्यायालय के माध्यम से) जिसका सहारा लेकर **'A'** 10,000 रूपये की वसूली **'B'** से करेगा, निष्पादन कहलायेगा |

निष्पादन के प्रकार – निष्पादन की कार्यवाही सामान्यतः दो प्रकार की होती है –

1. **निर्णीत ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही** – इसके अंतर्गत निर्णीत ऋणी को बंदी बनाया जाएगा और सिविल जेल में रखा जाएगा | इस प्रकार निर्णीत ऋणी को जेल में डालकर उस पर दवाब बनाया जाएगा कि वह डिक्री की शर्तों का पालन करे |

2. **निर्णीत ऋणी के संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही** – इसके

Scanned with CamScanner

2. <u>निर्णीत ऋणी के संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही</u> – इसके अंतर्गत निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क करके बेचा जाएगा तथा विक्रय से प्राप्त मूल्य से डिक्री के पैसे (निर्णीत ऋण) का भुगतान किया जाएगा |

किस डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है ?

1. यदि डिक्री के विरुद्ध अपील नही की गयी है तो प्रथम अधिकारिता वाले न्यायालय की डिक्री का निष्पादन किया जाएगा |

2. यदि प्रथम अधिकारिता वाले न्यायालय के डिक्री के विरुद्ध अपील की गयी है तो अपील में पारित अंतिम न्यायालय की डिक्री का निष्पादन किया जाएगा |

<u>डिक्री का निष्पादन कराने के लिए अधिकृत व्यक्ति</u> – सामान्यत: डिक्री का निष्पादन कराने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति अधिकृत हैं –

1. <u>डिक्रीदार</u> – डिक्री का निष्पादन कराने के लिए वही व्यक्ति अधिकृत होता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है |

2. <u>विधिक प्रतिनिधि</u> – धारा 146 के अनुसार डिक्रीदार की मृत्यु हो जाने पर डिक्री का निष्पादन कराने हेतु आवेदन उसका विधिक प्रतिनिधि दे सकता है |

3. <u>कोई भी व्यक्ति</u> – आदेश 21 नियम 15 के अनुसार संयुक्त रूप से पारित डिक्री की दशा में उसमे से कोई भी व्यक्ति डिक्री का निष्पादन करा सकता है जिसके पक्ष में संयुक्त रूप से डिक्री पारित की गयी है |

4. <u>डिक्री का अन्तरिती</u> – आदेश 21 नियम 16 में यह उपबंध

Scanned with CamScanner

4. <u>डिक्री का अन्तरिती</u> – आदेश 21 नियम 16 में यह उपबंध किया गया है कि जहां डिक्रीदार द्वारा डिक्री का अंतरण कर दिया गया है वहां अंतरण द्वारा डिक्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थात अन्तरिति डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है |

5. डिक्रीदार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन कर सकता है |

<u>किसके विरुद्ध डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन दिया जा सकता है</u> –

1. निर्णीत ऋणी के विरुद्ध यदि वह जीवित है |
2. यदि निर्णीत ऋणी जीवित नही है तो उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध |

<u>निष्पादन की सूचना</u> – सामान्यतः कोई प्रावधान नही है कि उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध निष्पादन का आवेदन दिया गया है कोई सूचना दी जाये | परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना देना होगा –

1. आदेश 21 नियम 22(1) के अनुसार जहां निष्पादन का प्रार्थना-पत्र डिक्री की तारीख से **दो वर्ष** बाद दिया गया है |

2. जहां निष्पादन का आवेदन मृतक (निर्णीत ऋणी) के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध दिया गया है |

3. जहां **यूनाइटेड किंगडम** (ब्रिटेन) या किसी अन्य व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के सम्बन्ध में निष्पादन के लिए आवेदन दिया गया है |

4. जहां डिक्री धन के भुगतान के लिए और निष्पादन निर्णीत ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही से सम्बंधित है |

Scanned with CamScanner

5. जहां डिक्रीदार का हित अंतरित कर दिया गया है |

<u>डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन</u> – डिक्री के निष्पादन हेतु डिक्री का धारक निम्न में से किसी एक के समक्ष आवेदन कर सकता है –

1. डिक्री पारित करने वाले न्यायालय, या

2. इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी (यदि कोई हो), या

3. यदि डिक्री किसी अन्य न्यायालय को भेजी गयी है तो वह न्यायालय या उसके उचित अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है |

<u>आवेदन पत्र की अंतर्वस्तुयें (आदेश 21 नियम 11)</u> – धन से सम्बंधित डिक्री के मामले के अतिरिक्त डिक्री के निष्पादन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र लिखा हुआ और आवेदक या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विषय में न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर दिया गया है और वह मामले के तथ्य से परिचित है, हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और सारणीबद्ध रूप से निम्न विशिष्टियां और अंतर्वस्तुयें होंगी, अर्थात –

1. वाद का संख्यांक

2. पक्षकारो के नाम

3. डिक्री की तारीख

4. क्या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील की गयी है ?

5. क्या डिक्री के पश्चात पक्षकारों के मध्य कोई संदाय या

Scanned with CamScanner

विवादग्रस्त बात का कोई अन्य समायोजन हुआ है और (यदि कोई हुआ हो तो) कितना और क्या ?

6. क्या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पहले किये गये हैं (यदि कोई किये गये हैं तो) कौन से हैं और ऐसे आवेदनों की तारीखें तथा उसके परिणाम |

7. डिक्री के मद्दे शोध्य रकम यदि कोई ब्याज है तो उसके सहित या उसके द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष, किसी प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित चाहे वह उस डिक्री की तारीख से पूर्व या पश्चात पारित की गयी हो जिसका निष्पादन चाहा गया है |

8. अधिनिर्णीत खर्चों की रकम (यदि कोई हो)

9. उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन चाहा गया है |

10. वह ढंग जिसमें न्यायालय की सहायता अपेक्षित है |

<u>डिक्री के निष्पादन का ढंग</u> –

1. विनिर्दिष्ट रूप से किसी संपत्ति के परिदान द्वारा

2. किसी संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा या कुर्की बिना विक्रय द्वारा

3. निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी तथा कारागार में निरोध द्वारा

4. रिसीवर की नियुक्ति द्वारा

5. ऐसे अन्य रीति से जिसकी दिए गये अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे

Scanned with CamScanner

डिक्री के निष्पादन का ढंग –

1. विनिर्दिष्ट रूप से किसी संपत्ति के परिदान द्वारा

2. किसी संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा या कुर्की बिना विक्रय द्वारा

3. निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी तथा कारागार में निरोध द्वारा

4. रिसीवर की नियुक्ति द्वारा

5. ऐसे अन्य रीति से जिसकी दिए गये अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे

न्यायालय आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह डिक्री की एक प्रमाणित प्रति पेश करे |

डिक्री के निष्पादन हेतु परिसीमा काल – आज्ञापक व्यादेश मंजूर करने वाली डिक्री से भिन्न डिक्री के निष्पादन हेतु परिसीमा काल डिक्री के निष्पादन की तारीख से **12 वर्ष** है |

आज्ञापक व्यादेश के लिए डिक्री के निष्पादन की परिसीमा काल डिक्री की तिथि से **तीन वर्ष** तक निर्धारित की गयी है |

Scanned with CamScanner

<u>गिरफ्तारी और निरोध (धारा 55 से 59)</u> –

एक डिक्री के निष्पादन में निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी सम्बन्धी विधि (प्रक्रिया) की विवेचना कीजिये | निर्णीत-ऋणी को अधिकतम कितने दिनों तक सिविल कारागार में रखा जा सकता है ? तथा निर्णीत-ऋणी को किस आधार पर छोड़ा जा सकता है ?

धारा 55. <u>गिरफ्तारी और निरोध</u> – इस धारा के अनुसार निर्णीत-ऋणी को डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथा साध्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा |

परन्तु इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले नही किया जाएगा |

इस हेतु निवास स्थान का कोई भी बाहरी द्वारा तब तक नही तोडा जाएगा जब तक कि ऐसा निवास-गृह निर्णीत-ऋणी के अधिभोग में न हो और वह उस तक पहुँच होने से मना करता हो या पहुँच होने देना किसी भाँती निवारित करता हो, किन्तु यदि गिरफ्तारी हेतु प्राधिकृत अधिकारी ने उस भवन में प्रवेश ले लिया है तब वह किसी भी ऐसे कमरे का द्वारा तोड़ सकता है जिसके बारे में उसे संदेह हो कि वह व्यक्ति उसके अन्दर छिपा है |

स्त्रियों को हट जाने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किया जाएगा |

जहां गिरफ्तारी निर्णीत-ऋण के अंशदाय के कारण हुई है तो ज्योहिं निर्णीत-ऋण संदत्त कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाएगा |

Scanned with CamScanner

उपधारा (3) के अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह धोषणा कर सकेगी कि ऐसा किसी भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग, जिसकी गिरफ्तारी से लोगो को खतरा या असुविधा पैदा हो सकती है, डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, गिरफ्तारी किये जाने के दायित्व के अधीन नही होगा |

धारा 55(3) दिवालिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है और यदि वह तत्समय प्रवृत दिवालिया विधि के उपबंधों का अनुपालन करता है तो वह उन्मोचित किया जा सकेगा |

धारा 55(4) के अनुसार दिवालिया घोषित किये जाने सम्बन्धी आवेदन **एक माह** के भीतर किया जायेगा | यदि ऐसा नही किया जाता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिए जाने का आदेश दे सकेगा |

धारा 56. धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों के गिरफ्तारी या निरोध का निषेध – धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी का निषेध किया गया है अतः उन्हें गिरफ्तार नही किया जा सकता है |

परन्तु जहां किसी वाद में कोई स्त्री वादी है और ऐसा वाद धन के संदाय के लिए है वहां वादी को प्रतिवादी के खर्च (व्यय) के लिए प्रतिभूति देने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है |

धरा 57. जीवन निर्वाह भत्ता – इस सन्दर्भ में **आदेश 21 नियम 39** भी उल्लेखनीय है | जब कभी निर्णीत-ऋणी को किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में रखा जाएगा तो उसके लिए जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जायेगी | ऐसा जीवन निर्वाह भत्ता या तो डिक्रीधारी स्वयं या वह व्यक्ति जो डिक्री का निष्पादन करा रहा है भुगतान करेगा | जीवन निर्वाह

Scanned with CamScanner

भत्ता मासिक देय होगा | जीवन निर्वाह भत्ते का निर्धारण ऋणी की पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार करेगी |

धारा 58. <u>निरोध और छोड़ा जाना</u> – धारा 58 को **सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976** के माध्यम से संशोधित किया गया और न्यायालय को यह विवेकीय अधिकार दिया गया कि वह इस बात का निर्णय कर सके कि धन के संदाय के डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को कितने दिन सिविल कारागार में रखा जा सकता है |

इसके अनुसार –

1. यदि डिक्री 5000 से ज्यादा है तो अधिकतम **3 माह** तक सिविल कारागार में रखा जा सकता है |

2. यदि डिक्री 2000 से ज्यादा तथा 5000 से कम है तो अधिकतम **छः सप्ताह** तक कारागार में रखा जा सकता है |

3. यदि डिक्री 2000 से कम है तो सिविल कारागार में निरोध नही किया जा सकता है |

यह धारा इस बात का भी उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति को जो कारागार में है उसकी अवधि समाप्त होने से पहले कब छोड़ा जा सकता है –

1. उसके निरोध के वारण्ट में वर्णित रकम का सिविल कारागार के भारसाधक अधिकारी को संदाय कर दिए जाने पर, अथवा

2. उसके विरुद्ध डिक्री के अन्यथा पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाने पर, अथवा

Scanned with CamScanner

2. उसके विरुद्ध डिक्री के अन्यथा पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाने पर, अथवा

3. जिस व्यक्ति के आवेदन पर वह ऐसे निरुद्ध किया गया था उसके अनुरोध पर, अथवा

4. जिस व्यक्ति के आवेदन पर उसे निरुद्ध किया गया था उसके द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय करने में लोप किये जाने पर।

नोट – इस धारा के अधीन निरोध से छोड़ा गया निर्णीत-ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने ऋण से मुक्त नही हो जाएगा। उसे लाभ केवल यह होगा कि पुनः उसको उसी ऋण के संदाय करने के लिए निरुद्ध नही किया जाएगा।

धारा 59. रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना – इस धारा के उपबंध मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाए गये हैं। अगर निर्णीत-ऋणी गंभीर बिमारी से पीड़ित है तो न्यायालय उसे निरोध से छोड़कर नैतिक जिम्मेदारी से बच सकता है, अन्यथा उसे कारागार में भेजने से अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी।

नोट – इस धारा के अधीन छोड़े गये व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ भी **धारा 58** की अवधि सम्बन्धी उपबंध लागू होंगे।

Scanned with CamScanner